न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , नगर (डीग) राज०

(पीठासीन अधिकारी : अनुराग हरित आर ए एस)

प्रार्थना पत्र स 04/24 दायरा दिनांक 10/7/2024

नारायण पुत्र कल्लूराम, उम्र 54 वर्ष जाति माली, निवासी चमनपुरा मौहल्ला पुरानी बाई पास रोड, कस्बा नगर, तहसील नगर, जिला डीग (प्रार्थी)

बनाम

तहसीलदार साहब, तहसील नगर, जिला डीग (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक 18/07/2024

उपस्थित:
(अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मंगल राम)
(अधिवक्ता अप्रार्थी : पैरोकार सरकार)

प्रार्थना पत्र के तथ्य प्रार्थी द्वारा कुछ इस प्रकार से है।आराजी खसरा नंबर 368/0.31, 538/0.99 कुल किता-2 क्षेत्रफल 1.30 है० स्थित कस्बा नगर, तहसील नगर है।प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नारायण पुत्र कल्ला, जाति माली, निवासी कस्बा नगर दर्ज हो रहा है, जो अप्रार्थी एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारीयो के द्वारा गलत रूप से दर्ज किया जा रहा है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम कल्ला ना होकर कल्लूराम पुत्र कृपाराम है, प्रार्थी के पिता का पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पहचान पत्र कमांक आर.जे./09/069/378482 दिनांक 18/03/1996 को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 069 नगर के द्वारा जारी किया हुआ है, जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम कल्लूराम पुत्र कृपाराम दर्ज है एवंम प्रार्थी के भाई लेखराज की मृत्यु हो जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी कस्बा नगर ने दिनांक 15/01/2024 को मौका पर्चा जांच विरासत कस्बा नगर तैयार की थी ,जिस पर प्रार्थी के पडौसीयान तथा पार्षद नगर पालिका के वार्ड सं. 29 की मौजूदगी मे पर्चा मौका तैयार किया था जिसमे तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम कल्लूराम दर्ज किया है, उसके बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम कल्ला दर्ज किया जा रहा है, जो विधि सम्मत ना होकर गैरकानूनी है, जिसको मुताविक पर्चा मौका, पहचान पत्र प्रार्थी के पिता का नाम कल्ला को कलमजन किया जाकर कल्लूराम दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है, क्योकि राजस्व रिकार्ड के अलावा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात मे प्रार्थी के पिता का नाम कल्लूराम ही दर्ज है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे हो रहे नारायण पुत्र कल्ला हिस्सा 1/5 जात माली, साकिन कस्बा नगर खातेदार को शुद्ध कर प्रार्थी के पिता के नाम कल्ला हो रहे इंद्राजात को कलमजन किया जाकर नारायण पुत्र कल्लूराम, हिस्सा 1/5 जाति माली, साकिन कस्बा नगर खातेदार दर्ज करे।

प्रकरण में नारायण के पिता कल्ला के सही नाम के संबंध में तहसीलदार नगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।प्राप्त रिपोर्टानुसार ग्राम कस्बा नगर के आ.ख.नं. 368/0.31, 538/0.99 पर नारायण पुत्र कल्ला हि. 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि विरासत नामा. सं. 3577 से कल्ला के स्थान पर दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में नाम

उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज०

नारायण पुत्र कल्लूराम दर्ज है व पटवारी द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कल्लूराम व कल्ला के नाम के संबंध में जांच की गई तो उपस्थितों द्वारा सही नाम कल्लूराम ही बताया। पटवारी द्वारा मौके पर जांच व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड के कल्ला के स्थान पर कल्लूराम शुद्धि किया जाना उचित है।

आदेश

अतः मुताबिक़ तहसीलदार रिपोर्ट के राजस्व रिकॉर्ड में आ०ख ०न०368/0.31,538/0.99 कस्बा नगर, तहसील नगर पर प्रार्थी के पिता के नाम का हाल इंद्राज कलमजन किया जाकर कल्लूराम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।फ़ैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनुराग हरित (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०